

ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

ग्रामीण विकास विभाग

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | | संशोधित 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | |
|---|--------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 119790.63 | ... | 119790.63 | 138539.80 | ... | 138539.80 | 157542.03 | 1.00 | 157543.03 | 170436.63 | 5.25 | 170441.88 |
| वसूलियां | -42421.46 | ... | -42421.46 | -52484.00 | ... | -52484.00 | -61483.00 | ... | -61483.00 | -64994.00 | ... | -64994.00 |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 77369.17 | ... | 77369.17 | 86055.80 | ... | 86055.80 | 96059.03 | 1.00 | 96060.03 | 105442.63 | 5.25 | 105447.88 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 31.33 | ... | 31.33 | 35.00 | ... | 35.00 | 39.23 | ... | 39.23 | 42.45 | ... | 42.45 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण | 133.19 | ... | 133.19 | 256.80 | ... | 256.80 | 256.80 | ... | 256.80 | 250.00 | ... | 250.00 |
| 3. लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपाटी) के लिए अनुदान | 10.00 | ... | 10.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 20.00 | 20.00 | ... | 20.00 |
| 4. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण | 287.82 | ... | 287.82 | 375.00 | ... | 375.00 | 375.00 | ... | 375.00 | 80.18 | ... | 80.18 |
| 5. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थाान को अनुदान | 60.21 | ... | 60.21 | 69.00 | ... | 69.00 | 69.00 | ... | 69.00 | 50.00 | ... | 50.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 491.22 | ... | 491.22 | 720.80 | ... | 720.80 | 720.80 | ... | 720.80 | 400.18 | ... | 400.18 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 6. ग्रामीण विकास भवन | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 5.25 | 5.25 |
| 7. व्यय कटौती में समायोजित वसूलियां | -62.96 | ... | -62.96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| जोड़-अन्य | -62.96 | ... | -62.96 | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 5.25 | 5.25 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | -62.96 | ... | -62.96 | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 5.25 | 5.25 |
| राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | | संशोधित 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | |
|--|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|-------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्थाएं पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस) | 5562.69 | ... | 5562.69 | 6130.85 | ... | 6130.85 | 6130.85 | ... | 6130.85 | 6126.85 | ... | 6126.85 |
| 9. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना | 639.42 | ... | 639.42 | 787.15 | ... | 787.15 | 787.15 | ... | 787.15 | 774.07 | ... | 774.07 |
| 10. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस) | 2068.88 | ... | 2068.88 | 2221.70 | ... | 2221.70 | 2221.71 | ... | 2221.71 | 2221.71 | ... | 2221.71 |
| 11. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) | 288.04 | ... | 288.04 | 279.33 | ... | 279.33 | 279.32 | ... | 279.32 | 274.32 | ... | 274.32 |
| 12. अन्नपूर्णा योजना | 56.29 | ... | 56.29 | 75.79 | ... | 75.79 | 75.79 | ... | 75.79 | 75.79 | ... | 75.79 |
| 13. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय) | 1.08 | ... | 1.08 | 5.18 | ... | 5.18 | 5.18 | ... | 5.18 | 27.26 | ... | 27.26 |
| जोड़-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 8616.40 | ... | 8616.40 | 9500.00 | ... | 9500.00 | 9500.00 | ... | 9500.00 | 9500.00 | ... | 9500.00 |
| महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | |
| 14. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि को अंतरित | 34686.00 | ... | 34686.00 | 38500.00 | ... | 38500.00 | 47499.00 | ... | 47499.00 | 48000.00 | ... | 48000.00 |
| 15. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन | 37359.71 | ... | 37359.71 | 38500.00 | ... | 38500.00 | 47499.00 | ... | 47499.00 | 48000.00 | ... | 48000.00 |
| 16. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से प्राप्त की गई धनराशि | -34705.00 | ... | -34705.00 | -38500.00 | ... | -38500.00 | -47499.00 | ... | -47499.00 | -48000.00 | ... | -48000.00 |
| जोड़-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम | 37340.71 | ... | 37340.71 | 38500.00 | ... | 38500.00 | 47499.00 | ... | 47499.00 | 48000.00 | ... | 48000.00 |
| 17. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना | | | | | | | | | | | | |
| 17.01 केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण | 7653.50 | ... | 7653.50 | 13984.00 | ... | 13984.00 | 13984.00 | ... | 13984.00 | 16994.00 | ... | 16994.00 |
| 17.02 कार्यक्रम घटक | 13349.46 | ... | 13349.46 | 12586.00 | ... | 12586.00 | 12586.00 | ... | 12586.00 | 15293.00 | ... | 15293.00 |
| 17.03 ईएपी घटक | 4940.41 | ... | 4940.41 | 5016.00 | ... | 5016.00 | 5016.00 | ... | 5016.00 | 2006.00 | ... | 2006.00 |
| 17.04 पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 1398.00 | ... | 1398.00 | 1398.00 | ... | 1398.00 | 1700.00 | ... | 1700.00 |
| 17.05 वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | ... | 1.00 |
| 17.06 केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई धनराशि | -7653.50 | ... | -7653.50 | -13984.00 | ... | -13984.00 | -13984.00 | ... | -13984.00 | -16994.00 | ... | -16994.00 |
| | <i>निवल</i> 18289.87 | ... | 18289.87 | 19000.00 | ... | 19000.00 | 19000.00 | ... | 19000.00 | 19000.00 | ... | 19000.00 |
| राष्ट्रीय आजीविका मिशन -आजीविका | | | | | | | | | | | | |
| 18. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | | | | | | | | | | | | |
| 18.01 कार्यक्रम घटक | 1879.03 | ... | 1879.03 | 1846.30 | ... | 1846.30 | 1846.30 | ... | 1846.30 | 3611.70 | ... | 3611.70 |
| 18.02 ईएपी घटक | 635.32 | ... | 635.32 | 935.20 | ... | 935.20 | 935.20 | ... | 935.20 | 487.00 | ... | 487.00 |
| 18.03 पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 218.50 | ... | 218.50 | 218.50 | ... | 218.50 | 401.30 | ... | 401.30 |
| जोड़- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 2514.35 | ... | 2514.35 | 3000.00 | ... | 3000.00 | 3000.00 | ... | 3000.00 | 4500.00 | ... | 4500.00 |
| 19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन | 32.05 | ... | 32.05 | 300.00 | ... | 300.00 | 300.00 | ... | 300.00 | 1000.00 | ... | 1000.00 |
| 20. प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण | | | | | | | | | | | | |
| 20.01 कार्यक्रम घटक | 10116.20 | ... | 10116.20 | 15000.00 | ... | 15000.00 | 16000.00 | ... | 16000.00 | 22616.00 | ... | 22616.00 |
| 20.02 ब्याज सब्सिडी | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 384.00 | ... | 384.00 |
| जोड़- प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण | 10116.20 | ... | 10116.20 | 15000.00 | ... | 15000.00 | 16000.00 | ... | 16000.00 | 23000.00 | ... | 23000.00 |
| जोड़-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं | 76909.58 | ... | 76909.58 | 85300.00 | ... | 85300.00 | 95299.00 | ... | 95299.00 | 105000.00 | ... | 105000.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2015-2016 | | | बजट 2016-2017 | | | संशोधित 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | |
|---|--------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल जोड़ | 77369.17 | ... | 77369.17 | 86055.80 | ... | 86055.80 | 96059.03 | 1.00 | 96060.03 | 105442.63 | 5.25 | 105447.88 |
| ख. विकास शीर्ष सामान्य सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 5.25 | 5.25 |
| जोड़-सामान्य सेवाएं | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 5.25 | 5.25 |
| सामाजिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. आवास | 6.54 | ... | 6.54 | 128.00 | ... | 128.00 | 128.00 | ... | 128.00 | 522.50 | ... | 522.50 |
| 3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 3.10 | ... | 3.10 | 10.39 | ... | 10.39 | 10.39 | ... | 10.39 | 32.47 | ... | 32.47 |
| जोड़-सामाजिक सेवाएं | 9.64 | ... | 9.64 | 138.39 | ... | 138.39 | 138.39 | ... | 138.39 | 554.97 | ... | 554.97 |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 4. ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम | 1081.30 | ... | 1081.30 | 1258.00 | ... | 1258.00 | 1258.00 | ... | 1258.00 | 961.20 | ... | 961.20 |
| 5. ग्रामीण रोजगार | 1066.34 | ... | 1066.34 | 38500.00 | ... | 38500.00 | 47499.00 | ... | 47499.00 | 48000.00 | ... | 48000.00 |
| 6. अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | 480.52 | ... | 480.52 | 655.00 | ... | 655.00 | 655.00 | ... | 655.00 | 483.25 | ... | 483.25 |
| 7. सड़क और पुल | 3103.16 | ... | 3103.16 | 14000.00 | ... | 14000.00 | 14000.00 | ... | 14000.00 | 17000.00 | ... | 17000.00 |
| 8. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 31.33 | ... | 31.33 | 35.00 | ... | 35.00 | 39.23 | ... | 39.23 | 42.45 | ... | 42.45 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 5762.65 | ... | 5762.65 | 54448.00 | ... | 54448.00 | 63451.23 | ... | 63451.23 | 66486.90 | ... | 66486.90 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 9. पूर्वोत्तर क्षेत्र | ... | ... | ... | 4164.50 | ... | 4164.50 | 4381.23 | ... | 4381.23 | 5461.73 | ... | 5461.73 |
| 10. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 71518.97 | ... | 71518.97 | 27223.56 | ... | 27223.56 | 28006.83 | ... | 28006.83 | 32822.69 | ... | 32822.69 |
| 11. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | 77.91 | ... | 77.91 | 81.35 | ... | 81.35 | 81.35 | ... | 81.35 | 116.34 | ... | 116.34 |
| जोड़-अन्य | 71596.88 | ... | 71596.88 | 31469.41 | ... | 31469.41 | 32469.41 | ... | 32469.41 | 38400.76 | ... | 38400.76 |
| कुल जोड़ | 77369.17 | ... | 77369.17 | 86055.80 | ... | 86055.80 | 96059.03 | 1.00 | 96060.03 | 105442.63 | 5.25 | 105447.88 |

3. लोक कार्य एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) के लिए अनुदान: कपार्ट का उद्देश्य विकास

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी स्वयंसेवी संगठनों और आवश्यकता आधारित अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से लोगों को शामिल करना है। कपार्ट अधिक सामाजिक एकजुटता के माध्यम से, सामाजिक बाधाओं को कम करते हुए और ग्रामीण शक्ति को सशक्त करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए जन आंदोलन सृजन का कार्य करता है।

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय संबंधी व्यय के लिए किया गया है।

2. **ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्रबंधन सहायता एवं जिला आयोजना प्रक्रिया का सुदृढीकरण:** इसमें ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता हेतु प्रावधान और प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों, जागरूकता सृजन (आईईसी), निगरानी तंत्र को बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना सम्मिलित है।

4. **सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना सर्वेक्षण:** गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे ग्रामीण परिवारों जिन्हें मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लक्षित किया जा सके, उनके निर्धारण के लिए की गई एसईसीसी जनगणना हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

5. **राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थाओं को अनुदान:** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान भारत में ग्रामीण विकास में प्रशिक्षण और शोध के लिए एक शीर्षस्थ संस्थान है। एनआईआरडी का मुख्य सरोकार विकासात्मक मुद्दों के संबंध में पाठ्यक्रम चलाने के अलावा ग्रामीण विकास और पंचायती राज कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण करने का है।

6. **ग्रामीण विकास भवन:** कार्यालय का निर्माण करने के लिए ग्रामीण विकास भवन का प्रावधान किया गया है।

8. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्ति को सहायता दी जाती है। 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

9. **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:** इस योजना के तहत बीपीएल परिवार 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर शोक संतप्त परिवार एकमुश्त सहायता प्राप्त करने का हकदार है। सहायता की राशि 20,000 रु. है।

10. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यू पीएस):** इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 40-79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए की बड़ी हुई पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

11. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस):** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) : इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु हो जाने पर लाभार्थियों को आईजीएनओएपीएस में शामिल कर लिया जाता है, ताकि वे प्रति माह 500 रुपए की बड़ी हुई पेंशन सहायता प्राप्त कर सकें।

12. **अन्नपूर्णा योजना:** इस योजना के तहत ऐसे लाभार्थियों, जो आईजीएनओएपीएस के तहत पात्र तो हैं, किन्तु आईजीएनओएपीएस के तहत वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।

13. **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (प्रशासनिक व्यय):** वृद्ध व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और आय अर्जनकर्ता की मृत्यु के मामले में गरीब परिवारों के लिए एनएसएपी एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अथवा भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है।

15. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबिन मिशन:** मनरेगा का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मजदूरी कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। योजना के मुख्य उद्देश्य मांग के हिसाब से रोजगार उपलब्ध कराना, निर्धारित की गई गुणवत्ता और स्थायी उत्पादनकारी परिसम्पत्तियों का सृजन करना, जिसके द्वारा गरीबों की संसाधन आधारित आजीविका को सुदृढ़ करना और सामाजिक समावेशन एवं पंचायती राज संस्थाओं (पीआरएस) को मजबूत करना है।

17.02. **कार्यक्रम घटक:** वर्ष 2000 में शुरू की गई प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण भारत में सर्वाधिक सफल पहलों में से एक है। मार्च, 2019 तक, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500/250 आवादी वाली सभी पात्र बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पीएमजीएसवाई-1 को पूरा करने की अपेक्षा है। कुछ राज्यों ने पात्र बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य पूरा ही नहीं कर लिया है बल्कि पीएमजीएसवाई के चरण-1। का कार्य जिसमें उन्नयन किए जाने वाली 25 प्रतिशत जिला ग्रामीण सड़कों का कार्य किया गया, भी पूरा कर लिया है। अब यह प्रस्ताव किया गया है कि चरण-1। और चरण-1। का कार्य सफलतापूर्वक करने वाले राज्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 250 से अधिक आवादी वाली सभी बसावटों को सड़क मार्ग से जोड़ने/सड़क उन्नयन करने के लिए प्रस्तावित पीएमजीएसवाई-1।। का कार्य शुरू कर सकते हैं।

पीएमजीएसवाई-1।। का लक्ष्य लगभग 40,000 बसावटों को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 120,000 कि.मी. लंबी सड़कों को बनाने/उन्नयन करने का है। कुल अनुमानित व्यय लगभग 68,600 करोड़ रु. का जिसमें से केंद्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 41760 करोड़ रु. होगी। पीएमजीएसवाई-1।। का कार्य इसकी शुरुआत से 5 वर्ष के अंदर पूरा करने का प्रस्ताव किया गया है। चरण-1।। के कार्य की अहंता के लिए राज्यों को जीआईएस प्लेटफार्म पर जिला ग्रामीण सड़क योजना (डीआरआरपी) तैयार करनी होगी और राज्य ग्रामीण सड़क रख-रखाव नीति अधिसूचित करनी होगी तथा ग्रामीण सड़क रख-रखाव निधि सृजित करनी होगी एवं निष्पादन आधारित ग्रामीण सड़क रख-रखाव कार्यों के साथ-साथ सामुदाय - पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) पर आधारित ग्रामीण सड़क रख-रखाव को प्रोत्साहित करना होगा। राज्यों को मेरी सड़क ऐप के अंतर्गत शिकायतों के लिए एक मजबूत निवारण प्रणाली भी तैयार करनी होगी। पीएमजीएसटी-1।। में टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल सड़क निर्माण प्रौद्योगिकियों, सरल रख-रखाव व्यवस्थाओं, रख-रखाव में सामुदायिक भागीदारी और सड़क सुरक्षा तथा आईटी के उपयोग और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर जोर दिया जाएगा ताकि प्रभावी आयोजना, निष्पादन और प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

17.05. **वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के लिए परियोजना:** वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना का उद्देश्य सुरक्षा और संचार की दृष्टि से वामपंथी उग्रवाद से अत्यंत प्रभावित 44 जिलों और उससे सटे हुए जिलों में आवश्यक पुलिस और आर-पार निकासी संरचनाओं सहित सड़क संपर्कता उपलब्ध कराना है। इन सड़कों का उपयोग पूरे वर्ष हर मौसम में किया जा सकेगा।

18.01. **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:** दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के रूप में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत जून 2011 में की गई थी। डीएवाई-एनआरएलएम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है और उन्हें तब तक निरंतर सहायता प्रदान करना है, जब तक कि वे एक समयावधि में अपनी आय में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर लेते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर नहीं बना लेते हैं तथा घोर गरीबी से बाहर नहीं निकल जाते हैं। डीएवाई-एनआरएलएम में सभी ग्रामीण गरीब महिलाओं को लाभान्वित करना है, जिसके लिए दस वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में 8.0 से 10.0 करोड़ का अनुमान लगाया है।

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) डीएवाई-एनआरएलएम का एक घटक है। इसमें कृषि पर आधारित गरीबों की मौजूदा आजीविकाओं और कृषि एवं उन्नत उत्पादकता में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ बनाने के मौके तलाशे जाते हैं।

स्टार्ट-अप विलेज इंटरप्रेनरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) शिल्पककार और बुनकर की आजीविकाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए गैर-कृषि पर आधारित नई आजीविकाओं से संबंधित कार्यक्रम है। अवधारणा को प्रमाणित करने के पहले चरण में एसवीईपी में 24 राज्यों के 125 ब्लॉकों में लगभग 1.82 लाख ग्रामीण उद्यमों का सृजन और इनका सुदृढ़ीकरण करने की उम्मीद की गई है और इसमें इस कार्य के लिए 4 वर्षों अर्थात् 2015-19 तक का लक्ष्य 1 रखा गया है तथा लगभग 3.78 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन किए जाने की उम्मीद है।

ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) देश के प्रत्येक जिले में स्थापित की जा रही है। जिसका उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना करने के लिए गरीब परिवारों के ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना सरकार द्वारा अधिसूचित सामान्य मानकों के अनुरूप बनाई है। यह संरक्षण सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी कौशल विकास योजनाओं के लिए अनिवार्य है। पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए मंत्रालय ने प्रशिक्षण सहभागियों का चयन करने के लिए आनं लाइन प्रोजेक्ट प्रोजेजल सबमिशन एण्ड अप्रैजल सॉफ्टवेयर की शुरूआत की है। जम्मू एवं कश्मीर में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए हिमायत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अगले 5 वर्षों के लिए 1 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त लक्ष्य की घोषणा की है इस संदर्भ में राज्य सरकार ने गुणवत्ता रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए स्किलिंग लैंडस्केप में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक इंडस्ट्री मीट की शुरूआत की थी। यद्यपि डीडीयू-जीकेवाई देश के सभी राज्यों में लागू है तथापि डीडीयू-जीकेवाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए व्यापक जागरूकता और मांग के परिणाम स्वरूप डीडीयू-जीकेवाई का राज्य आधारित कार्यान्वयन 24 राज्यों में इसका विस्तार किया गया है और शेष राज्यों में इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया चलाई जा रही है।

19. **कार्यक्रम घटक:** श्यामा प्रसाद मुखर्जी र्वन मिशन का उद्देश्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में विकास की अंतर्निहित संभावनाओं वाले ग्रामीण विकास क्लस्टरों का विकास करना है, जिनसे क्षेत्रों में समग्र विकास हो सके। आर्थिक कार्यकलापों की व्यवस्था करके, कौशल और स्थानीय उद्यमिता का विकास करके तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराके ये क्लस्टर तैयार किए जाएंगे।

20. **प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) ग्रामीण:** प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकार के आश्वासन को साकार करने के लिए सभी के लिए विशेष रूप से गरीबों के लिए निर्धारित समय में आवास की आवश्यकता का समाधान किया गया है। पीएमएवाई जी में मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रू. और पहाड़ी, दुर्गम और आईएपी जिलों के लिए 75 हजार से बढ़ाकर 1.30 लाख रू. की इकाई सहायता देकर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। न्यूनतम इकाई आकार को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिसमें स्वच्छ खान-पान के लिए अलग से जगह की व्यवस्था की गई है। एसवीएम या अन्य किसी निर्धारित स्रोतों और मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी श्रम के 90-95 दिनों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए इकाई लागत के अतिरिक्त 12000 रू. का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जाएगी, जिसका उद्देश्य परियोजना के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना है। आवास सॉफ्ट में पंजीकृत बैंक डाकघर खाते रखने वाले सभी लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। और यदि लाभार्थी इस विकल्प को चुनता है तो वित्तीय संस्थाओं से 70,000 रू. की ऋण सहायता उसको उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसे सभी ग्रामीण परिवारों जिन्हें पीएमएवाई जी के तहत कवर नहीं किया गया हो को ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो अपने मकानों के निर्माण और उन्नयन के लिए ऋण लेना चाहते हों। सरकार 20 साल की अवधि के लिए 2 लाख रू. तक के ऋण घटक के लिए तीन प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। योजना का कार्यान्वयन एवं निगरानी राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से किया जाएगा।